न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

1. राजस्व अपील संख्या 56 / 2021

श्री समसुद्दीन पुत्र श्री भंवरू, जाति मेरात, निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर

.....*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर

.....रेस्पोन्डेन्ट

2. राजस्व अपील संख्या 57 / 2021

श्री खुदाबक्स पुत्र श्री मिठू, जाति मेरात, निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर

.....*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर

.....रेस्पोन्डेन्ट

3. राजस्व अपील संख्या 58 / 2021

श्री भोला पुत्र श्री अल्लादीन, जाति मेरात, निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर

.....*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर

.....रेस्पोन्डेन्ट

4. राजस्व अपील संख्या 59 / 2021

श्री रजाक पुत्र श्री भंवरू, जाति मेरात, निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर

.....*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर

.....रेस्पोन्डेन्ट

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

5. राजस्व अपील संख्या 60/2021

श्री ईदू खां पुत्र श्री अल्लादीन, जाति मेरात, निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर

.....*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर

.....रेस्पोन्डेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

———

उपस्थित :– 1. श्री हेमराज गुप्ता, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक – 03.11.2022

उपरोक्त पांचों ही अपीलों में समान तथ्य एवं समान कानूनी बिन्दू नीहित होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जाना न्यायोचित होगा। आदेश की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जावें।

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2078 में श्री समसुद्दीन पुत्र श्री भंवरू, जाति मेरात, निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ने ग्राम लसाडिया के सिवायचक (पहाड़ चरागाह) आराजी खसरा नम्बर 1661/1066 रकबा 34.6410 हैक्टर में से रकबा 20 वर्गमीटर पर कमरा बनाकर, श्री खुदाबक्स पुत्र श्री मिठू, जाति मेरात, निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ने ग्राम लसाडिया के सिवायचक (पहाड़ चरागाह) आराजी खसरा नम्बर 1661/1066 रकबा 34.6410 हैक्टर में से रकबा 20 वर्गमीटर पर कमरा बनाकर, श्री भोला पुत्र श्री अल्लादीन, जाति मेरात, निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ने ग्राम लसाडिया के सिवायचक (पहाड़ चरागाह) आराजी खसरा नम्बर 1661/1066 रकबा 34.6410 हैक्टर में से रकबा 20 वर्गमीटर पर कमरा बनाकर, श्री रजाक पुत्र श्री भंवरू, जाति मेरात, निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ने ग्राम लसाडिया के सिवायचक (पहाड़ चरागाह) आराजी खसरा नम्बर 1661/1066 रकबा 34.6410 हैक्टर में से रकबा 0.0809 हैक्टर पर मकान बनाकर एवं श्री ईदू खां पुत्र श्री अल्लादीन, जाति मेरात, निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ने ग्राम लसाडिया के सिवायचक (पहाड़ चरागाह) आराजी खसरा नम्बर 1661/1066 रकबा 34.6410 हैक्टर में से रकबा 20 वर्गमीटर पर कमरा बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्व राजस्व प्रकरण संख्या क्रमशः 199/2021, 198/2021, 197/2021, 202/2021 एवं 203/2021 पंजीकृत कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 29.10.2021 को आदेश

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर
सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

पारित किया गया। उक्त आदेश अनुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के साथ ही कब्जे पर फसल/पत्थर आदि सामग्री पड़ी हो तो जब्त कर नीलामी करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 29.10.2021 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व रेस्पोडेन्ट के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। मियाद के बिन्दु पर पैरोकार सरकार द्वारा ऐतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन कर अपील गुणावगुण पर निर्णित करने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना तथा पटवारी हल्का के बयानों को क्रॉस करने का अवसर प्रदान नहीं कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। उन्होंने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों व कानूनी प्रावधानों को पूर्ण विवेचन किये बिना साईक्लोस्टाईल निर्णय पारित किया गया है जो विधिक निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों, कानूनी प्रावधानों को अनदेखा करते हुए न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किये बिना निर्णय पारित किया गया है। वकील अपीलान्ट ने आगे कथन किया कि विवादित आराजी पर कोई पहाड़ स्थित नहीं है बल्कि अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी को काफी रूपया–पैसा खर्च कर समतल बनाकर उपयोगी बनाया है। अपीलान्ट उक्त भूमि में मौके पर तारबन्दी कर रहवासी मकान व बाड़ा बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा है एवं अपने परिवार का पालन पोषण कर जीवन यापन कर रहा है। अपीलान्ट ने उक्त मकान में नल व बिजली कनेक्शन भी ले रखा है। यदि उक्त निर्णय की पालना में अपीलान्ट को बेदखल कर दिया गया तो अपीलान्ट व परिवार के समक्ष पालन पोषण व रहवास की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जायेगी। उनका कथन है कि सम्पूर्ण विवादित आराजी पर आबादी बसी हुई है एवं सैंकड़ों लोग मकान बनाकर निवास कर रहे हैं किन्तु गांव के प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा राजनैतिक द्वेषतावश व दुर्भावनावश राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करते हुए अपीलान्ट एवं उसके परिवार के विरूद्ध ही बेदखली की कार्यवाही की गई है। अपीलान्ट का अपने पूर्वजों के समय से ही विवादित आराजी पर कब्जा चला आ रहा है एवं अन्य व्यक्तियों के भी मकान बने हुए हैं। अतः बेदखली की कार्यवाही किये जाने के बजाय नियमानुसार शुल्क जमा कर विवादित आराजी का अपीलान्ट के पक्ष में नियमन किया जाना चाहिये। अन्त में उन्होने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा आवासीय मकान/कमरा बनाकर सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में पहाड़ चरागाह दर्ज है। उन्होने आगे कथन किया कि अपीलान्ट ने स्वयं को पश्चातवर्ती

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

अतिचारी बताते हुए विवादित भूमि का नियमन उनके पक्ष में करने का निवेदन किया है किन्तु इस सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। साथ ही अपीलान्ट का यह कथन कि उन्हे अपना पक्ष रखने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, सरासर गलत एवं तथ्यों से परे है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट स्वयं उपस्थित हुए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा सिवायचक भूमि पर अनाधिकृत रूप से आवासीय मकान/कमरा बनाकर अतिक्रमण किया गया है। विवादित आराजी की किस्म राजस्व अभिलेख में पहाड़ चरागाह दर्ज है जो प्रतिबंधित श्रेणी की होकर आवंटन/नियमन योग्य भूमि भी नहीं है। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर देकर पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमण पाये जाने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। हम उक्त आदेश में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 03.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलेक्टर,
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,अजमेर